न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 02/2015 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :– मंमा खॉ पुत्र श्री बरकत अली जाति मुसलमान निवासी 15 एस.पी. डी. तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

——— **अपीलान्ट**

—— **बनाम** ——

अति.जिला मजिस्ट्रेट, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

——— **रेस्पोडेन्ट**

अनुपस्थित :– श्री सुभाष शर्मा — अभिभाषक अपीलांट

उपस्थित — श्री चतुर्भुज — सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 22.07.2019

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत अति.जिला मजिस्ट्रेट, सूरतगढ, जिला श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 18.03.2015, जिसके द्वारा अपीलांट के नाम से जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 258/85 डीएम श्रीगंगानगर निरस्त किया गया, के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट के नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 258/85 डीएम श्रीगंगानगर बना है, जिस पर 12 बोर डीबीबीएल गन सं. एबी–8401892 दर्ज है, जो दिनांक 31.10.2006 तक नवीनीकृत है। अपीलांट द्वारा उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र का आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र दिनांक 19.1.2009 को जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो कि लगभग 2 वर्ष 3 माह विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है, जिस पर पुलिस से रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट क्रमांक 828 दिनांक 2.8.10 के अनुसार अपीलांट के विरूद्ध मुकदमा सं. 168/08 अन्तर्गत धारा 30 आर्म्स एक्ट में चालान होकर न्यायालय में विचाराधीन होना बताया, जिसके आधार पर अपीलांट का लाईसेंस अति.जिला मजिस्ट्रेट, सूरतगढ के आदेश क्रमांक 938 दिनांक 18.7.12 द्वारा निलम्बित किया गया। उक्त मुकदमें में निर्णय की प्रति प्रस्तुत कर अपीलांट ने अपने लाईसेंस को बहाली हेतु अधिनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त मुकदमें के पश्चात् उसके विरूद्ध अन्य कोई मुकदमा

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

नहीं होने का उल्लेख करते हुए लाईसेंस बहाली का निवेदन किया। इस पर जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर से पुनः रिपोर्ट ली गई। जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर ने रिपोर्ट क्रमांक 954 दिनांक 15.3.13 द्वारा अवगत कराया कि अपीलांट पर मु.नं. 168/08 में दिनांक 30.8.12 को हुए निर्णयानुसार प्रार्थी अपीलान्ट पर 2000/–रूपये जुर्माना व अदालत उठने तक पाबंद किये जाने की सजा सुनाई गई । जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर ने अपीलांट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा की। अधिनस्थ न्यायालय अति. जिला मजिस्ट्रेट, सूरतगढ ने जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की उक्त रिपोर्ट्स एवं नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र 2 वर्ष 3 माह विलम्ब से प्रस्तुत करने को आधार मानते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.3.15 से अपीलांट का उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 258/85 डीएम श्रीगंगानगर निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब कर प्राप्त किया गया । वक्त बहस अभिभाषक अपीलान्ट के अनुपस्थित रहने पर अपील मीमो का अवलोकन कर राज्य पक्ष की बहस सुनी गई।

4. अपील मीमो अनुसार अपीलान्ट का उज्र है कि अपीलांट का आवेदन पत्र इस आधार पर खारिज किया गया कि अपीलांट के विरूद्ध धारा 30 आयुद्ध अधिनियम में प्रकरण लम्बित था एवं जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर ने रिपोर्ट क्रमांक 954 दिनांक 15.3.13 द्वारा अवगत कराया कि अपीलांट पर मु.नं. 168/08 में दिनांक 30.8.12 को हुए निर्णयानुसार प्रार्थी अपीलान्ट पर 2000/–रूपये जुर्माना व अदालत उठने तक पाबंद किये जाने की सजा सुनाई गई । जबकि थानाधिकारी जैतपुर द्वारा रिपोर्ट तलब की गयी जिसमें थानाधिकारी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 24.2.14 द्वारा अपीलांट के चाल चलन व चरित्र के बारे में सही व अच्छा पाया है एवं नवीनीकरण की अनुशंषा की गयी है । इसके अलावा ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में चरित्र प्रमाण पत्र जारी किये गये। इस प्रकार पुलिस एवं सरपंच रिपोर्ट अपीलांट के पक्ष में होने के बावजूद उस पर कोई गौर किये बिना एकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलान्ट का अनुज्ञा पत्र निरस्त गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश 18.3.15 निरस्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

5. विद्वान सहायक लोक अभियोजक चतुर्भुज ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पुलिस रिपोर्ट दिनांक 15.3.13 के अनुसार अपीलांट के विरूद्ध दर्ज मुकदमे में अपीलांट को 2000/–रू के अर्थ दण्ड एवं अदालत उठने तक पाबंद किया गया है। अपीलान्ट के विरुध्द 30 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज हुआ है । ऐसे व्यक्ति के पास शस्त्र रहने से उसके दुरूपयोग होने की प्रबल संभावना बनी रहती है। प्रकरण में व्यापक लोक शांति, सुरक्षा व कानून व्यवस्था के मध्यनजर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.3.2015 उचित आधारों पर है। अपीलांट ने शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण का आवेदन पत्र भी 2 वर्ष 3 माह विलम्ब से प्रस्तुत किया है, विलम्ब के सम्बन्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई ठोस साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

6. हमने अपीलान्ट के अपील मीमो एवं राज्य पक्ष सहायक लोक अभियोजक की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का गहनता से अध्ययन व मनन किया। अपीलान्ट ने अपील मीमो अनुसार कथन किया है कि अपीलांट के विरुध्द विचाराधीन मुकदमा के आधार नवीनीकरण का आवेदन पत्र खारिज नहीं किया जा सकता। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर मौजूद जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर की रिपोर्ट दिनांक 15.3.13 के अनुसार अपीलांट के विरुध्द विचाराधीन मुकदमा सं0 168/08 धारा 30 आर्म्स एक्ट में हुए निर्णय दिनांक 30.8.12 के अनुसार अपीलान्ट पर 2000/–रू. के अर्थ दण्ड एवं अदालत उठने तक पाबंद किया गया है। इस आधार पर जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर ने अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण किया जाना अनुचित बताया है। यह भी ज्ञातव्य हो कि अपीलांट के विरूद्ध धारा 30 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा चला है। प्रकरण में अपीलांट द्वारा शस्त्र के दुरूपयोग किये जाने के कारण ही अदालत ने उसे दोषी मानते हुए सजा दी है। इस प्रकार शस्त्र अधिनियम में दिये गये विद्यमान प्रावधानों के अनुसार सजायाब व्यक्ति के पास हथियार नहीं होना चाहिए। इसके अलावा पत्रावली पर आवेदक द्वारा नवीनीकरण का आवेदन पत्र भी 2 वर्ष 3 माह के विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है, तथा विलम्ब का कोई सन्तोषप्रद कारण स्पष्ट नहीं किया, ना ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। हम विद्वान सहायक लोक अभियोजक के कथन से सहमत हैं कि अपीलान्ट के विरुध्द 30 आर्म्स एक्ट

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज हुआ है । ऐसे व्यक्ति के पास शस्त्र रहने से उसके दुरूपयोग होने की प्रबल संभावना बनी रहती है। प्रकरण में व्यापक लोक शांति की सुरक्षा व कानून व्यवस्था के मध्यनजर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित आधारों पर है।

7. उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए हम न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सूरतगढ द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.03.2015 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः अति.जिला मजिस्ट्रेट, सूरतगढ का आदेश दिनांक 18.03.2015 यथावत रखते हुए अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

8. तद्अनुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश आज दिनांक 22.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमानसहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर